



प्रेषक,

राकेश कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय:- जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में टाईप-2 आवास (कुल संख्या-12) के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित वित्तीय स्वीकृति (प्रथम किश्त) के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-3748/दि०ज०स०वि०/निर्माण/जगद्गुरु-आवास/2025-26 दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में टाईप-2 आवास (कुल संख्या-12) के निर्माण कार्य हेतु **रु० 623.70 (रूपये छः करोड़ तेईस लाख सत्तर हजार मात्र)** की प्रस्तावित आगणन लागत के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत **रु० 604.97 लाख (रूपये छः करोड़ चार लाख सत्तानबे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इस कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में **रु० 211.08 लाख (रूपये दो करोड़ ग्यारह लाख आठ हजार मात्र)** की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (i) प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि राज्य बजट से स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किश्तों में व नियमानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० एवं कार्यदायी संस्था का होगा। स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी०एल०ए०/बैंक खाते इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।
- (iii) धनराशि की स्वीकृति/आहरण एवं अन्य कार्यवाहियां वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) आगणन में निर्धारित लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
- (v) प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (vi) नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(vii) आगणन में जो ड्राईंग प्रस्तुत की गयी है, उसके अनुसार स्थान उपलब्ध होना चाहिए यदि ड्राईंग के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है, तो उसके लिये कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होगी। यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(viii) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कर कराया जायेगा।

(ix) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(x) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का यह दायित्व है कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान कराया जाये। साथ ही यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का आनुपातिक/मानक मिलान करते हुये जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(xi) प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग इत्यादि संबंधी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड/अन्य संबंधी कोड के अनुरूप हैं।

(xii) प्रायोजनान्तर्गत टाइप-2 श्रेणी के कुल 12 आवासों का निर्माण प्रस्तावित है तथा उक्त आवासों के अध्यानिधि हेतु 438.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पार्किंग हेतु स्टिल्ट फ्लोर का निर्माण भी प्रस्तावित है प्रभाग का मत है कि निदेशक, दिव्यांगजन द्वारा उक्त स्टिल्ट फ्लोर की आवश्यकता एवं औचित्य का अपने स्तर पर परीक्षण कर लिया जाए तथा स्वयं के संतुष्ट होने के उपरान्त ही वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किए जाने पर विचार किया जाये।

(xiii) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा, जिससे टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(xiv) आगणन में उल्लिखित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत माना गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे:-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(xv) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में न ही किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश/कार्यदायी संस्था को होगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(xvi) प्रश्नगत निर्माण कार्य में भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिव्यांगजन के लिये सभी भवनों में पहुंच हेतु सुगम्य एवं बाधारहित वातावरण बनाये जाने के लिये निर्गत "Harmonized Guidelines and Standards for Universal Accessibility In India, 2021" का अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(xvii) प्रायोजना लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xviii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का समस्त दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(xix) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना/तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xx) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) प्रमुख अभियंता, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक दिनांक 10.10.2023 एवं पत्रांक दिनांक 26.10.2023 के द्वारा डी0एस0आर0 की दरों में फैक्टर/कास्ट इंडेक्स का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमदें उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी हैं। तदनुसार बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन/कार्यदायी संस्था का होगा।

(xxi) शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था तथा निदेशालय में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी/वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत बाट आउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(xxii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(xxiii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुये 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(xxiv) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

(xxv) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का होगा।

(xxvi) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।

(xxvii) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। निदेशक, दिव्यांगजन द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। बाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रभाग आंकलित धनराशि तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार वास्तविक धनराशि में अन्तर होने की स्थिति में प्रायोजना को पुनः प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में परीक्षण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(xxviii) प्रायोजना के अन्तर्गत लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। निदेशक, दिव्यांगजन/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाये।

2. उपर्युक्त निर्माण कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-35-जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-E-4-281-X-2025-26 दिनांक 20.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-मूल्यांकित लागत का विवरण।

भवदीय,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. जिलाधिकारी, चित्रकूट।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कुल सचिव, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, चित्रकूट ।
7. जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, चित्रकूट ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग-1।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार यादव
संयुक्त सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।